कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-3, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, जिला- रायपुर
Email ID - cglc2012@gmail.com, Fax - 0771-2443516/14

क्र./48/बंधकश्रम/स्थायी कोष/श्र.आ./2016/3043, रायपुर, दिनांक 09/05/19,

प्रति,

समस्त सहायक श्रमायुक्त एवं
समस्त श्रम पदाधिकारी (छ.ग.)

विषय :- बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1880 दिनांक 18.03.2019

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि बच्चों के हित संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत् बचपन बचाओं आंदोलन द्वारा किशोर न्याय अधिनियम एवं बालक किशोर श्रम अधिनियम के माध्यम से बच्चों के संरक्षण विषय पर दो दिवसीय परिचर्चा दिनांक 27 एवं 28 अप्रैल 2019 को रायपुर में आयोजित की गई थी। उक्त परिचर्चा में अन्य विभाग तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के प्रभावी प्रवर्तन एवं कमियों के संबंध में सुझाव दिये गये। उक्त संबंध में बालश्रम उन्मूलन हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाना अपेक्षित है। अतः निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित की जावे :-

1. बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत टास्क फोर्स का पुर्नगठन 01 सप्ताह में किया जावे।
2. टास्क फोर्स की प्रतिमाह अनिवार्य रूप से बैठक आयोजित की जावे एवं टास्क फोर्स के माध्यम से अधिनियम अंतर्गत निरीक्षण कार्यवाही की जावे। साथ ही टास्क फोर्स द्वारा जिलें में बालश्रम उन्मूलन हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया जावे।
3. बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 की धारा 12 के अंतर्गत प्रत्येक संस्थान में बालश्रम प्रतिबंधात्मक एवं दण्डात्मक प्रावधान अनिवार्यतः संसूचित किये जाने हेतु टास्क फोर्स के माध्यम से सघन अभियान चलाया जावे।
4. बाल श्रम नियोजन की शिकायतों के संबंध में टास्क फोर्स/स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से बालश्रम अवमुक्ति एवं पुनर्वास की कार्यवाही तत्काल की जावे।

उपरोक्त संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे एवं आपके द्वारा बालश्रम उन्मूलन हेतु किये जा रहे प्रभावी प्रयासों के संबंध में प्रतिमाह मुख्यालय को प्रतिवेदन प्रेषित किया जावे।

(डी0पी0तिवारी)
सहायक श्रमायुक्त
कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़,
अटल नगर जिला-रायपुर

क्रमशः..2

पृ.क्र./48/बंधकश्रम/स्थायी कोष/श्र.आ./2016/ 3046, रायपुर, दिनांक 09/05/19

प्रतिलिपि :-

समस्त कलेक्टर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।

सहायक श्रमायुक्त
कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़,
अटल नगर जिला-रायपुर